उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन पर आवेदक का मकान बना हुआ है तथा नास्ता दुकान भी चल रहा है। विपक्षी के साथ सम्पूर्ण जमींन को निम्न न्यायालय द्वारा बन्दोबस्ती किया गया है। इस पर 16/– रैयतों को भी आपत्ति है। ऐसी स्थिति में विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि इस पर जांच प्रतिवदेन प्राप्त कर एवं उभय पक्षों को सुनकर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 06/2014–15

एतवारी तांती ..... आवेदक

बनाम

साहेब तांती एवं अन्य .....विपक्षी

।। आदेश ।।

02/04/2016 यह आर0एम0आर0 सं0– 06/2014–15 एतवारी तांती बनाम् साहेब तांती एवं अन्य, मौजा दोन्दिया, अंचल सरैयाहाट के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0– 45/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 05.03.2009 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा दोन्दिया के दाग सं0 105 रकवा 95 डीसमल जमींन सर्वे खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है जिसमें विपक्षी को निम्न न्यायालय द्वारा कुल रकवा 95 डीसमल जमींन अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर बन्दोबस्ती किया गया है। इस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त दाग में आवेदक द्वारा 15 डीसमल जमींन पर मकान बनाकर दखल किया जा रहा है एवं जीविकोपार्जन हेतु नास्ता दुकान भी चलाया जा रहा है तथा पेड़ आदि लगाया गया है किन्तु विपक्षी द्वारा गलत दावा एवं अंचल अधिकारी द्वारा गलत प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के कारण विपक्षी को उक्त दाग में निम्न न्यायालय द्वारा जमींन बन्दोबस्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अंचल अधिकारी द्वारा कभी स्थल जांच नहीं किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी का कहना है कि उन्हें प्रश्नगत जमींन में 95 डीसमल जमींन बन्दोबस्ती मिला है। यदि उक्त दाग में आवेदक का मकान होता तो प्रतिवेदन में अंकित होता। आवेदक द्वारा कभी कोर्ट को सूचित नहीं किया गया है। अतः आवेदक का आवेदन अस्वीकृत किया जाय।

मौजा के 16/– रैयतों की ओर से उनके अधिवक्ता का कहना है कि एक व्यक्ति के साथ 95 डीसमल जमींन बन्दोबस्ती किया गया है जो उचित नहीं है। अतः इसे रद्द किया जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय में आवेदक एतवारी तांती तथा धामु तांती द्वारा इस बन्दोबस्ती के विरूद्ध आवेदन दाखिल किया गया था। किन्तु इनके दावों पर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है।